

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हापुड
उपस्थित:- विपिन कुमार-।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)
UPHP010066212024



सत्र परीक्षण सं०-1051/2024

सरकार बनाम सुनील
मु०अ०सं०-234 / 2008
अंतर्गत धारा-398,401 भा०दं०सं०
थाना-हापुड नगर,
जनपद हापुड।

आरोप

मैं, विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हापुड एतद्वारा आप **सुनील पुत्र डालचन्द** को निम्नांकित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम- यह कि दिनांक 13.04.2008 समय 02.30 पी०एम० बजे स्थान यासीन कपड़े वालों की दुकान नगरपालिका रोड हापुड थाना हापुड नगर जनपद हापुड में वादी मुकदमा विजय सिंह नेहरा उपनिरीक्षक एवं साथी पुलिस कर्मचारीगण द्वारा आपको घातक हथियारों से सुसज्जित होकर लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 398 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक घूमती फिरती टोली बनायी गयी थी। उक्त टोली डकैती करने के आशय से बनायी गयी थी। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 401 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्वारा आप **सुनील पुत्र डालचन्द** को निर्देश देता हूँ कि आपके उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 20.03.2025

(विपिन कुमार-।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हापुड।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 20.03.2025

(विपिन कुमार-।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
हापुड।